सख्या- ९/२०१६ /४७७/71-आयुष-2-2016-१०८/ 2014 टी0सी0-३

प्रेषक

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र, लखनऊ

आयुष अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक: १४ मार्च 2016

विषय- उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के संचालन हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-१७७४/71-आयुष-2-2016-१०८/2014 टी0सी0-२ दिनांक ११-०१-२०१६ के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-३४मि0नि0/उ0प्र0 दिनॉक २५-०२-२०१६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत शासनादेश दिनॉक ११-०१-२०१६ के प्रस्तर-२ के बिन्दु संख्या-(२) में उल्लिखित "प्रश्नगत बचत खाता का संचालन मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी एवं वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा" के स्थान पर "प्रश्नगत बचत खाता का संचालन मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी एवं वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा" पढा एवं समझा जाय।

२- प्रश्नगत शासनादेश दिनॉक ११-०१-२०१६ की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

३- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३ के अशासकीय संख्या- ई0-३-४०५/दस-२०१६ दिनॉक १४ मार्च, २०१६ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किये जा रहें है।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-९/२०१६/४७७(1)/71-आयुष-2-2016/तददिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१-महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
२-मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
३-निदेशक, आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ ।
४-वित्त नियंत्रक, आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ ।
५-वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ ।
६-वित्त (लेखा) अनुभाग-१ /वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३/ वित्त् (आय -व्ययक) 1/2
७-आयुष अनुभाग -१
८- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।